(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legisletive Assembly of Rajasthan State from the 65-Alwar Rural (S.C.) Assembly constituency.

In puesuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri Tikaram Jully (Name) 101, Orchid Residency, Moti Doongari, Alwar (Raj) (Address) Sponsored by Indian National Congress (name of the recognised /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Alwar

Dated: 03.12.2023

A STEP OF THE STATE OF THE STAT

Signature..

Returning Officer. रिटर्निंग अधिकारी

S.D.M. अलवर विधानसभा अलवर ग्रामीण (065)

प्ररूप 21ग (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

65 अलवर ग्रामीण (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री टीकाराम जूली (नाम) 101, ऑरचिड रेजीडेन्सी, मोती डूँगरी अलवर (राज.) (पता) जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/ की गई है।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान - अलवर दिनांक - 03.12.2023

राजस्थान *
वा सरकार
प्रिंग आँगिर्म से देन

हस्ताक्षर

S.D.M. अलवर विधानसभा अलवर ग्रामीण (065)